कार्यालय जिला परिषद् सुपौल

बन्दोवस्ती सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष **2026–27** के लिए जिला परिषद् सुपौल अन्तर्गत पड़ने वाली सैरातों एवं मंत्री परिषद् द्वारा दिए गये स्वीकृति के आलोक में सुपौल जिलान्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्राधीन सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का प्रबंधन, नियंत्रण एवं अनुरक्षण का दायित्व जिला परिषद् को जिलाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 73–2/रा0 सुपौल, दिनांक 12.01.2021 द्वारा हस्तांतरित सैरातों एवं जिला परिषद् के सैरातों की बन्दोवस्ती दिनांक 19.03.2026 को 11:00 बजे जिला परिषद् सुपौल स्थित कार्यालय में निर्धारित किया गया है। जिन सैरातों की बन्दोवस्ती दिनांक 19.03.2026 को नहीं हो सकेगी वैसे अबन्दोवस्त सैरातों की बन्दोवस्ती की तिथि क्रमशः 20.03.2026, 23.03.2026 एवं 24.03.2026 को निर्धारित की जाती है। समय एवं स्थल पूर्ववत रहेगा। दिनांक 24.03.2026 के बाद वैसे अबन्दोवस्त सैरातों की बन्दोवस्ती न्यूनतम डाकवक्ता के आने पर प्रत्येक कार्यालय दिवस के किसी भी तिथि को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय वेश्म में किया जाऐगा।

सैरातों की सूची

क्र0	सैरातों की सूची	अंचल का नाम	वर्ष 2026–27 की सुरक्षित राशि
1	जिला परिषद् सड़क सं0 07 एवं 21 एवं किसनपुर बाजार चौक (जंक्शन) पर टेम्पो एवं बस पड़ाव	किसनपुर	933800.00
2	जिला परिषद् सड़क संख्या 01 बसविट्टी घुरघुर चौक पर टेम्पो पड़ाव	सुपौल	161000.00
3	जिला परिषद् बस पड़ाव त्रिवेणीगंज	त्रिवेणीगंज	3500000.00
4	जिला परिषद् बस पड़ाव छातापुर	छातापुर	1500000.00
5	जिला परिषद् सड़क संख्या 12 किनारे राघोपुर बाजार में गुदरी (मौजा दूर्गापुर)	राघोपुर	-
6	जिला परिषद् सड़क संख्या 21 किनारे भपटियाही बाजार में सड़क किनारे गुदरी /हाट	सरायगढ भपटियाही	857900.00
7	सुखपुर बाजार में जिला परिषद् सड़क संख्या 21 किनारे टेम्पो पड़ाव	सुपौल	296700.00
8	जिला परिषद् करिहो में गुदरी	सुपौल	6235.00
9	जिला परिषद् सड़क संख्या 23 निर्मली से झिटकी तक जमीन	निर्मली	138000.00
10	जिला परिषद् सड़क संख्या 18 माईल 53 से 55 तक जमीन की बन्दोवस्ती	सुपौल	1495.00
11	जिला परिषद् सड़क संख्या 24 झिटकी से भपटियाही तक की जमीन	सरायगढ भपटियाही	1283.00
12	सड़क संख्या 18 माइल 55 से 57 तक जमीन	सुपौल	4208.00
13	जिला परिषद् निरीक्षण भवन निर्मली की जमीन	निर्मली	388.00
14	जिला परिषद् निरीक्षण भवन जगतपुर बरूआरी की जमीन /फलकर	सुपौल	43138.00
15	जिला परिषद् निरीक्षण भवन परसरमा की जमीन	सुपौल	4370.00
16	जिला परिषद् भटनिया ओषधालय की जमीन	राघोपुर	1015.00
17	जिला परिषद् सड़क सं0 01 किनारे जमीन , जलकर एवं ईमली वृक्ष	सुपौल	–
18	जिला परिषद् होमियोपैथिक ओषधालय भगवानपुर की जमीन	बसंतपुर	5000.00
19	जिला परिषद् सड़क संख्या 04 भलुआही बाजार में बांध किनारे की गुदरी	निर्मली	46805.00
20	जिला परिषद् निरीक्षण भवन राघोपुर का फलदार वृक्ष का बन्दोवस्ती	राघोपुर	3450.00
21	जिला परिषद् सड़क सं0 21 पुरानी भपटियाही से सिकरहट्टा तक जलकर	सरायगढ भपटियाही	9125.00
22	जिला परिषद् कोरियापट्टी ओषधालय की जमीन	राघोपुर	795.00
23	जिला परिषद् सड़क संख्या 19 तेतराही कोठी का फलकर (आम ,कटहल,इमली)	पिपरा	874.00
24	जिला परिषद् चरणै ओषधालय की जमीन	छातापुर	2361.00
25	जिला परिषद् सड़क सं0 21 चाँदपीपर से भपटियाही कोशी नहर तक जलकर	सरायगढ भपटियाही	2316.00
26	जिला परिषद् निरीक्षण भवन बधला की जमीन	त्रिवेणीगंज	861.00
27	जिला परिषद् सड़क संख्या 12 राघोपुर से गददी से कोशी नहर तक जलकर	राघोपुर	53032.00
28	जिला परिषद् आयुर्वेदिक ओषधालय जीवछपुर की जमीन	छातापुर	3105.00
29	बकौर हाट	सुपौल	118450.00
30	किलागराई	सुपौल	3,52,390.00
31	गोपालपुर सिरे घाट	सुपौल	174901.00
32	किसनपुर हाट	किसनपुर	360410.00
33	नरही बेलही हाट	किसनपुर	184000.00
34	परसा हाट	किसनपुर	87055.00
35	थुमहा हाट	पिपरा	400056.00
36	भीमनगर हाट –सह–गुदरी	बसंतपुर	339825.00

37	धरहारा हाट	राघोपुर	877766.00
38	करजाईन गुदरी	राघोपुर	77625.00
39	गणपतगंज गुदरी	राघोपुर	931385.00
40	मानगंज हाट	त्रिवेणीगंज	70992.00
41	महदीपुर मेला	छातापुर	192165.00
42	छातापुर गुदरी	छातापुर	806150.00
43	महदीपुर गुदरी	छातापुर	277265.00
44	जीवछपुर गुदरी	छातापुर	254495.00
45	राजस्व हाट कुनौली	निर्मली	611225.00

डाकवक्ता के लिए निम्नांकित शर्ते है:–

1. इच्छुक डाकवक्ता को डाक में भाग लेने से पूर्व सर्वमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र (पता सहित) एवं तत्संवंधी सक्षम पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण–पत्र/आधार कार्ड कार्यालय को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
2. इच्छुक डाकवक्ता को आवासीय प्रमाण–पत्र/आधार कार्ड में दिए गये पता के अनुरूप पुलिस अधीक्षक द्वारा अद्यतन निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
3. इच्छुक डाकवक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 10% जमानत की राशि डाक प्रारम्भ होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। डाक प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाऐगा।
4. सर्वोच्य डाककर्त्ता को जमानत की राशि का सामंजस्य डाक की राशि में जमा किया जाएगा एवं असफल डाकवक्ता को जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी।
5. वैसे व्यक्ति जिनके पास विगत वर्ष का किसी भी प्रकार का बन्दोवस्ती की राशि या अन्य राशि बकाया हो वे किसी भी परिस्थिति में डाक में भाग नहीं ले सकते है, साथ ही उनके परिवार के किन्ही अन्य सदस्य भी बन्दोवस्ती में भाग नहीं ले सकते है। सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करने के पश्चात ही डाक में भाग ले सकते है एवं जिला परिषद् से अबकाया प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करेंगे।
6. अनावश्यक ऊँची बोली बोले जाने पर डाक की बोली पर बूरा प्रभाव पड़ता है ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा डाक के समय दिए गये निदेश का अनुपालन करने पर ही अनावश्यक बोली गई राशि पूर्ण रूप से जमा करने पर ही बोली मान्य होगा अन्यथा उसे बोली से वंचित कर दिया जाएगा।
7. डाक समाप्ति के बाद उच्चतम डाकवक्ता को उसी दिन सम्पूर्ण राशि जमा करना होगा। उच्चतम डाकवक्ता द्वारा बोली गई राशि पर यदि बन्दोवस्ती नहीं ली जाती है तो उनके अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जप्त कर ली जाऐगी एवं द्वितीय उच्च डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।
8. मेला की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट साफ सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था लेसी को अपने व्यय पर करना होगा तथा जमीन पर किसी राजनिति सभा का आयोजन नहीं की जाएगी।
9. बन्दोवस्ती राशि पर विभागीय निदेशानुसार 6% मुद्रांक शुल्क एवं 2% निबंधन शुल्क अलग से जमा करना होगा। यह राशि विभागीय निदेशानुसार बढ भी सकता है जो डाकवक्ता को जमा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा करने के पश्चात परवाना निर्गत किया जाएगा।
10. सैरात की जमीन पर किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा इसे सुनिश्चित करना बन्दोवस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
11. किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार एवं बिना कारण दर्शाये डाक स्थगित /रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है। साथ ही उपांकित शर्त्त पर यथा स्थिति संशोधन/बदलाव करने का भी अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
12. डाकवक्ता अनुशासन के साथ डाक में भाग लेंगे एवं किसी भी परिस्थति में शांति भंग नहीं करेंगे।

नोट :– विशेष जानकारी हेतु कार्यालय कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
सभी संबंधितों को सूचित करें।

ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद् सुपौल।

संचिका संख्या –2–1/2001 ज्ञापांक 149/ जि0परि0 सुपौल, दिनांक 18/02/2026

प्रतिलिपि :– श्री मनीष कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला परिषद् सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला परिषद् सुपौल के बेवसाइट पर सूचना की प्रति Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– डी0आई0ओ0, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिले के बेवसाइट पर सूचना की प्रति Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल जिला को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अंचलाधिकारी, सुपौल जिला को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल जिला को सूचनार्थ एवं प्रचार –प्रसार करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

17/2/26

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद् सुपौल।